## न्यायालय अपर जिला कलक्टर ( द्वितीय ) जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार डांगा आर.ए.एस.

**पंचायत निगरानी संख्या : 76/2018**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. नरेन्द्रसिंह टाक पुत्र स्व. श्री कानाराम जाति माली (टाक), आयु 56 वर्ष, निवासी-उम्मेद नगर रोड़ मथानिया, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर। | | 1. पुखराज पुत्र स्व. श्री तुलसीराम जाति माली (टाक), निवासी-मीरा कृषि फार्म, उम्मेदनगर पोस्ट मथानिया, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।<br>2. जेठाराम पुत्र स्व. श्री तुलसीराम जाति माली (टाक) निवासी-मीरा कृषि फार्म, उम्मेदनगर पोस्ट मथानिया, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।<br>3. सैतानसिंह पुत्र स्व. श्री तुलसीराम जाति माली (टाक) निवासी-मीरा कृषि फार्म, उम्मेदनगर पोस्ट मथानिया, तहसील औसियां, जिला जोधपुर<br>4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर |

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 बविरुद्ध आदेश तहसीलदार औसिया द्वारा दिनांक 30.12.1974 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 08 जारी किया गया।**

उपस्थितिः- 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धनपत चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र वर्मा उपस्थित।

## निर्णय

**दिनांकः 02.03.2023**

प्रार्थी नरेन्द्र सिंह टाक पुत्र स्व. श्री कानाराम माली (टाक) निवासी-उम्मेद नगर रोड़ मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी पुखराज पुत्र स्व. श्री तुलसीराम जाति माली (टाक) निवासी मीरा कृषि फार्म, उम्मेदनगर पोस्ट मथानिया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध तहसीलदार औसिया द्वारा दिनांक 30.12.1974 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 08 को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:46:14 IST
Reason: Self Attested



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार औसियां द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को आबादी भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी किये जाने के अनुक्रम में तहसीलदार औसियां द्वारा दिनांक 30.12.1974 को ग्राम मथानिया तहसील औसियां, में स्थित भूखण्ड बनाप 30 गुणा 45 का खसरा नम्बर 298 प्लॉट नं. 8 के संबंध में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 03 के पिता तुलसीराम पुत्र फुसाराम जाति माली निवासी मथानिया को राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 71 के पंचायतों में प्रभारी अधिकारी जिलाधीश द्वारा नियुक्त होने के आधार पर अधिकारों को उपयोग में लेते हुए पट्टा विलेख जारी किया गया, जबकि तुलसीराम अनुसूचित जाति व जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों की श्रेणी में नहीं था एवं दिनांक 30.12.1974 से पूर्व तुलसीराम विद्युत विभाग में नियोजित होने के कारण तथाकथित भूखण्ड आवंटन की श्रेणी में नहीं आता था एवं तुलसीराम का तथाकथित विवादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा नहीं था। उक्त भूखण्ड को प्रार्थी के नाम से ग्राम पंचायत कोर्ट मथानिया, पंचायत समिति औसिया, जिला जोधपुर द्वारा जरिये मिसल संख्या 1/85, पट्टा संख्या 2/15 के दिनांक 08.09.1977 को जारी किया गया, जिसमें वर्णित नाप व पड़ौस अंकित है। तुलसीराम को विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा पट्टा जारी किये जाने की अवस्था में तुलसीराम का उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा नही रहा है, जबकि प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर कब्जा निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा उस पर प्रार्थी का आवास रहवास है तथा उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के पुत्र का माजीसा ट्रेडर्स के नाम से भवन निर्माण सम्बन्धित आवश्यक सामग्री घोड़े, पाटियें किराये पर देने का व्यवसाय चल रहा है। उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड पूर्व में तहसीलदार ओसियां के क्षेत्राधिकार में था जो कि वर्तमान में उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार तिंवरी के क्षेत्राधिकार में आया हुआ होने से अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार तिंवरी को पक्षकार बनाया जाकर निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है:-

1. प्रार्थी संख्या 1 से 3 का उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड पर शुरू से ही तुलसीराम के हक में तहसीलदार ओसिया द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांक 30.12.1974 से कब्जा नहीं होने तथा उक्त भूखण्ड के पट्टा विलेख में आड़ौस-पड़ौस अंकित नहीं होने तथा तुलसीराम की मृत्यु के पश्चात् तुलसीराम के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का कब्जा नहीं होने के बावजूद भी प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की अवस्था में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) जोधपुर के न्यायालय में पेश किया जो वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन है जिसका मुकदमा नं. 19/2010 बअनवान नरेन्द्र सिंह बनाम पुखराज वगैरह व अन्य हैं उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके दौरान विविध स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 11/2010 हैं जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के हक में दिनांक 29.01.2016 को स्थगन आदेश स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:46:14 IST
Reason: SelfAttested



उपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

2. अप्रार्थी संख्या 2 जेठाराम द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 420, 447, 468, 470, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता में परिवाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट औसिया, जिला जोधपुर के समक्ष विवादग्रस्त भुखण्ड के संबंध में प्रार्थी के हक में जारी पट्टे के संबंध में परिवाद पेश किया गया। जिस पर पुलिस थाना मथानिया द्वारा बाद जांच के अन्तिम परिणाम अदम वकु सिविल नेचर में पेश किया गया।
3. अप्रार्थीगण के पिता तुलसीराम पुत्र फुसाराम जो कि दिनांक 30.12.1974 को भूमिहीन नहीं थे एवं दिनांक 30.12.1974 को तुलसीराम राजकीय सेवा में होने की अवस्था में उक्त भूखण्ड का पट्टा तुलसीराम के हक में जारी नहीं किया जा सकता जिसके बावजूद भी तहसीलदार ओसियां द्वारा नियमों को दरकिनार कर पट्टा जारी किया गया जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
4. तहसीलदार ओसियां द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है न ही कोई आपत्ति वगैरा सुनी गई है ऐसी अवस्था में तहसीलदार ओसियां द्वारा जारी पट्टा विधि विरूद्ध होने से काबिले निरस्तनीय है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम जारी किये गये पट्टा विलेख दिनांक 30.12.1974 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धनपत चौधरी ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता को जब पट्टा जारी किया गया तब वे श्रमिक नहीं थे। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता तुलसीराम पुत्र फुसाराम जाति माली निवासी मथानिया को दिनांक 13.01.1971 से W/C Casual Labours के रूप में कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि.नि.) रा.रा. वि.म. तिंवरी में नियुक्ति मिली। तहसीलदार ओसियां द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को आबादी भूखण्ड में से आवासीय भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी किये जाने के अनुक्रम में तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 30.12.1974 को ग्राम मथानिया तहसील ओसियां में स्थित भूखण्ड बनाम 30 गुणा 45 का खसरा नम्बर 298 प्लॉट नं 8 के संबंध में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता तुलसीराम पुत्र फुसाराम जाति माली निवासी मथानिया को राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 71 के पंचायतों में प्रभारी अधिकारी जिलाधीश द्वारा नियुक्त होने के आधार पर अधिकारों को उपयोग में लेते हुए पट्टा विलेख जारी किया गया, जबकि तुलसीराम अनुसूचित जाति व जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों की श्रेणी में नहीं था एवं दिनांक 30.12.1974 [illegible]सीराम विद्युत विभाग में नियोजित होने के कारण तथाकथि[illegible] आता था। अतः शर्त का उल्लंघन किया गया। [illegible] दिनांक तक उक्त भूखण्ड पर कब्जा है तथा पट्टा भी निग[illegible] है। अवैधानिक रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:46:14 IST
Reason: SelfAttested



कलेक्टर (द्वितीय) ... जोधपुर (राज०)

RS
अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जारी पट्टे को खारिज किये जाने हेतु म्याद का बिन्दू लागू नहीं होता है तथा पट्टे को खारिज किये जाने हेतु कभी भी निगरानी की जा सकती है। अत: निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम जारी किये गये पट्टा विलेख दिनांक 30.12.1974 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र वर्मा ने अपनी बहस में बताया कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी लगभग 44 वर्ष पश्चात् पेश की गयी है जो कि एक लम्बी अवधि है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता नियुक्ति दिनांक 13.01.1971 से पूर्व एक श्रमिक थे। निगरानीकर्ता को पंचायत रिकॉर्ड अनुसार कोई पट्टा जारी नहीं हुआ है। अत: निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम जारी किये गये पट्टा विलेख दिनांक 30.12.1974 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस पर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता के नाम से अनुसूचित जाति व जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को आबादी भूमि में जारी होने वाला विक्रय विलेख पट्टा संख्या 08 दिनांक 30.12.1974 को एक श्रमिक के तौर पर जारी किया गया है। अप्रार्थीगण के पिता को दिनांक 13.01.1971 को W/C Casual Labours के रूप में कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि.नि.) रा.रा.वि.म. तिंवरी में नियुक्ति हुई तथा दिनांक 01.04.1974 H-II के पद पर कार्यभार ग्रहण किया जबकि उक्त पट्टा संख्या 08 दिनांक 30.12.1974 को जारी किया गया है। इसके अलावा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर वर्तमान में कब्जा है तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने भी अपनी बहस में प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर कब्जे को स्वीकार किया है। अत: निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 30.12.1974 को जारी पट्टा संख्या 08 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:46:14 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र कुमार डांगा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर